

PP 30/2021
2021/868

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाड़ा

पीठारिनी अधिकारी :- गहीपाल सिंह आर०ए०एरा०

मुकदमा संख्या :- 30/2021. 500 पत्र.

प्रकाशन भाँके के संग अभिवृत्त-2021

1. रामलाल 50 आडीराम करेड़ा सि०-हल्का श्री कौरी-करेड़ा-जिला
प्रार्थी.....

बनाम

1. रामलाल 50 आडीराम करेड़ा सि०-हल्का श्री कौरी-करेड़ा-जिला
विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: आदेश ::

दिनांक 14/12/21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ~~विपक्षीगण~~ पटवार हल्का ~~उमरी~~ तहसील करेड़ा में उराके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या ~~आराजी नम्बर~~ 2297/804 2399/205 2410/1654
1-2646 / 0-5059 / 0-7588

कुल किता 3 रकबा 7.5993 (65-33)

हेक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा बिन्दु नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 14/12/21 को पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अर्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य हैं।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ~~विपक्षीगण~~ पटवार हल्का ~~उमरी~~ तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या ~~आराजी नम्बर~~ 2297/804 2399/205 2410/1654
1-2646 / 0-5059 / 0-7588

कुल किता 3 रकबा 7.5993 (65-33)

हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक ~~उमरी~~ को 600/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

संलग्न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

R/c
amban

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

प्रभाष अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रभाष अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा